



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234458
CG-DL-E-25032022-234458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1259]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1301(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 61 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी. 176 (राजुरी ते पिंपरे बु. तक) के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने बाइपासो सहित चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 8 फरवरी, 2022 को "पुढारी" (मराठी) और "द इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी.176 (राजुरी ते पिंपरे बु. तक) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने बाइपासो सहित चार/छह लेन का बनाने, आदि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सातारा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फलटण				
	गांव का नाम: तरडगांव				
1	2030 Pai	निजी(खाजगी)	कृषी	0.2188	सुरेश निवृत्ती अडसूळ, शिवाजी निवृत्ती अडसूळ, मालन बाळासो वचकल, वैशाली संजय बनकर, कलावती निवृत्ती अडसूळ, सिताराम महादेव अडसूळ, बापूराव कृष्णा अडसूळ, दत्तात्रय मारुती अडसूळ, उमेश बाळासो अडसूळ, आशा बाळासो अडसूळ, आत्माराम सदाशिव अडसूळ, इंदूबाई मारुती अडसूळ, परमेश्वर सदाशिव अडसूळ, राजाराम सदाशिव अडसूळ, शोभा बाळासो कदम, सर्जेराव सदाशिव अडसूळ, अशोक महादेव अडसूळ, गणेश चंदर अडसूळ, शिवाजी चंदर अडसूळ, संगिता राजेंद्र हेळकर, नंदा अरुण जाधव, सुषमा सुनिल भोसले, शंकर पिराजी अडसूळ, रंजना शंकर अडसूळ, विठ्ठलराव गणपतराव अडसूळ, सुनिल गणपतराव अडसूळ, रत्नमाला रामदास रासकर, पुष्पा दिलीप नवले, उषा हणमंत

					अडसूळ, रोहित हणमंत अडसूळ, पल्लवी शिवाजी ननावरे, गौरी संदिप बनगे, रंजना नेमचंद भुजबळ, विशाल दिनकर बनसोडे, सुमन मारुती बोडके, अजित नामदेव अडसूळ, अशोक दिनकर बनसोडे, जनाबाई भिवा भोसले, बाळासो नामदेव अडसूळ, मंगल रामदास अडसूळ, मंदा दादासो जगताप, राजेश्री सतिश कोरडे, राहुल रामदास अडसूळ, रुपाली नंदकुमार रासकर, विठ्ठल गणपत अडसूळ ()
			कुल	0.2188	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2018/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1301(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.61(E) Date 5 January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965 in the stretch of land from Km. 117 to Km. 176 (Rajuri-Pimpre Budruk) Section in Satara district in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pudhari (Marathi)” and “The Indian Express (English)” both dated 8 February 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965 in the stretch of land from Km. 117 to Km. 176(Rajuri Pimpre Budruk Section) on National Highway no. 965 in Satara district in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: Satara		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phaltan				
	Village: Taradgaon				
1	2030 Pai	Private	Agri	0.2188	Suresh Nivarutti Adsul, Shivaji Nivarutti Adsul, Malan Balaso Vachakal, Vaishali Sanjay Bankar, Kalawati Nivarutti Adsul, Sitaram Mahadev Adsul, Bapurao Krushna Adsul, Dattatrya Marutti Adsul, Umesh Balaso Adsul, Aasha Balaso Adsul, Atmaram Sadashiv Adsul, Endubai Marutti Adsul, Parmeshwar Sadashiv Adsul, Rajaram Sadashiv Adsul, Shobha Balaso Kadam, Sarjerao Sadashiv Adsul, Ashok Mahadev Adsul, Ganesh Chandar Adsul, Shivaji Chandar Adsul, Sangeeta Rajendra Helkar, Nanda Arun Jadhav, Sushama Sunil Bhosale, Shankar Piraji Adsul, Ranjana Shankar Adsul, Vittalrao Ganpatrao Adsul, Sunil Ganpatrao Adsul, Ratnmala Ramdas Raskar, Pushapa Dilip Nawale, Usha Hanmant Adsul, Rohit Hanmant Adsul, Pallavi Shivaji Nanaware, Gauri Sandip Banage, Ranjana Nemchand Bhujbal, Vishal Dinakar Banasode, Suman Marutti Bodake, Ajit Namdev Adsul, Ashok Dinakar Banasode, Janabai Bhiwa Bhosale, Balaso Namdev Adsul, Mangal Ramdas Adsul, Manda Dadaso Jagtap, Rajeshri Satish Korade, Rahul Ramdas Adsul, Rupali Nandakumar Raskar, Vittal Ganapat Adsul. 2030 Pai
			TOTAL	0.2188	

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2018/3D1]

RAJESH GUPTA, Director